

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु. राँची -05-15/2019 85

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची।

राँची, दिनांक : 16/08/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अंतर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु रु. 23.21 लाख (तेइस लाख एककीस हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति/देश संख्या-08/19-20, दिनांक: 01.07.19 (Online AA-850/07.07.2019) एवं 23/19-20, दिनांक 16.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्न वर्णित लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन निम्नांकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-


| क्र.      | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/<br>उप मुख्य शीर्ष                              | लघु शीर्ष/उप शीर्ष  | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड  |                    | मुख्य अभियंता              | कार्यालय का नाम                         |                             |
|-----------|--|---|---|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4   |                    | 5                          | 6                                       |                             |
| 1.        | 49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य | 796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगना / 69-प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार  | 03-प्रशासनिक व्यय, 21 प्रचार/ प्रसार/ सेमिनार, विपत्र कोड- 49S470180796690321 |                    | अग्रिम योजना, राँची        | अग्रिम योजना प्रमंडल, राँची (DRNMID030) |                             |
| Access no |  | योजना का नाम  | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि  | मार्च 2019 तक व्यय | पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में) | वर्तमान आवंटन (लाख ₹ में)               | कुल आवंटित राशि (लाख ₹ में) |
| 7         |  | 8   | 9   | 10                 | 11                         | 12                                      | 13                          |
| 52719     |  | विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये। | 100.00  | 0.00               | 0.00                       | 23.21                                   | 23.21                       |
|           |  | योग   | 100.00  | 0.00               | 0.00                       | 23.21                                   | 23.21                       |

आवंटित राशि - ₹ तेइस लाख एककीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध रु. 50.00 लाख (पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
  8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
  9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
  10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
  11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
  12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
  14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. उपर्युक्त कंडिका-1 के स्तंभ-7 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

  
(अरुण कुमार सिंह) 16.8.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 85 राँची, दिनांक :- 16/08/19


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(अरुण कुमार सिंह) 16.8.19  
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 85

राँची, दिनांक :- 16/08/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 16.8.19  
अपर मुख्य सचिव